उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 8 | 16-30 अप्रैल 2026 | ₹ 20/-

महाराष्ट्र के नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद

- घर वापसी अभियान की आलोचना
- पाकिस्तान द्वारा अफगान विश्वविद्यालय पर हमला
- संयुक्त अरब अमीरात की ओपेक छोड़ने की घोषणा
- बांग्लादेश द्वारा 22 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद 04
मालेगांव बम धमाकों के चारों आरोपी बरी 08
घर वापसी अभियान की आलोचना 11
उत्तराखंड सरकार का मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला 13
जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए उर्दू की अनिवार्यता खत्म 15

विश्व

पाकिस्तान द्वारा अफगान विश्वविद्यालय पर हमला 17
बलूचिस्तान में खनन कंपनी पर हमला 18
बांग्लादेश द्वारा 22 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता 20
फिलीपींस में इस्लामिक आतंकवादियों की गतिविधियों में भारी वृद्धि 21
माली के रक्षा मंत्री की आतंकवादी हमले में मौत 22

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब अमीरात की ओपेक छोड़ने की घोषणा 23
बिना लाइसेंस के हाजियों के लिए भोजन परोसने पर सऊदी सरकार की सख्ती 26
बहरीन में ईरान समर्थकों की गिरफ्तारी 27
मोजतबा खामेनेई की रहस्यमयी गुमशुदगी 28
नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला 29

सारांश

इन दिनों महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा हिंदू महिला कर्मचारियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने कुछ हिंदू महिला कर्मचारियों की शिकायत पर नौ मुकदमे दर्ज किए हैं और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की मुख्य अभियुक्त निदा खान अभी भी फरार है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की है कि निदा खान अपने मुस्लिम पुरुष सहकर्मियों की मदद से उन्हें रोजा रखने, नमाज पढ़ने और गोमांस खाने के लिए दबाव डाल रही थी। यहां तक कि शादी का झांसा देकर इन हिंदू महिलाओं का यौन शोषण भी किया गया। मामला अत्यंत गंभीर है, लेकिन उर्दू प्रेस और मीडिया के एक वर्ग ने इसे अलग ही रंग देने की कोशिश की है। उर्दू प्रेस यह आरोप लगा रहा है कि सत्ताधारी दल द्वारा जानबूझकर मुसलमानों को कॉर्पोरेट क्षेत्र की नौकरियों से वंचित रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों को समान और उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। जिला प्रशासन का दावा है कि यह मदरसा बिना सरकारी अनुमति के बनाया गया था और इसके लिए खरीदी गई भूमि में भारी अनियमितताएं पाई गई थीं। वहीं, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी शोपियां स्थित मदरसा जामिया सिराज उल उलूम पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। कहा जाता है कि यह मदरसा प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर द्वारा संचालित किया जा रहा था।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से एक अफगान विश्वविद्यालय पर मोर्टार और मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में सात लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर सीमा उल्लंघन का यह सिलसिला तुरंत बंद नहीं हुआ तो अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा।

रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस्लामी भाईचारे का दावा करने वाले कई मुस्लिम देश रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के लिए तैयार नहीं हैं। हाल ही में सऊदी अरब सरकार के विशेष अनुरोध पर बांग्लादेश ने सऊदी अरब में रह रहे लगभग 22 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेशी पासपोर्ट जारी किए हैं ताकि उनके पास वैध दस्तावेज हों। सऊदी अरब का दावा है कि अभी भी 69 हजार से अधिक रोहिंग्या बिना पासपोर्ट के सऊदी अरब में रह रहे हैं, जिनकी पहचान और निगरानी करना सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में पहले से ही 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों ने डेरा डाल रखा है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की है। यूएई का यह कदम वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र और विशेष रूप से सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पेट्रोलियम विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यूएई को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति के क्षेत्र में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे वह अपने सहयोगी देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेगा।

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद

महाराष्ट्र में 'कॉर्पोरेट जिहाद' का मुद्दा दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की कुछ हिंदू महिला कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि कंपनी में कार्यरत मुस्लिम प्रबंधकों एवं कर्मचारियों ने उन्हें गोमांस खाने, नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही उन पर इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए भी भारी दबाव डाला गया। इतना ही नहीं कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार भी किया गया। पुलिस इस मामले की बारिकी से जांच कर रही है और अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं।

कौमी तंजीम (4 मई) के अनुसार नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने नासिक के बहुचर्चित कॉर्पोरेट जिहाद की मुख्य अभियुक्त निदा खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। निदा खान के वकीलों ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। इस मामले में निदा खान एक मात्र ऐसी अभियुक्त है, जो एक महीने से अधिक समय से फरार चल रही है। गौरतलब है कि 2 मई 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी जोशी ने निदा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निदा खान के वकील राहुल कासलीवाल और बाबा सैयद ने अदालत में तर्क दिया था कि जिन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें अधिकतम सात वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निदा खान स्वयं एक महिला है, इसलिए उस पर किसी अन्य महिला के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ करने का आरोप तर्कसंगत नहीं है। वकीलों ने दावा किया कि निदा खान वर्तमान में गर्भवती है और वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेगी। साथ ही बचाव पक्ष का कहना था कि अगर पुलिस के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो महाराष्ट्र में धर्मांतरण के खिलाफ कोई कड़ा कानून मौजूद नहीं है, इसलिए

उस पर अधिकतम धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ही मामला बन सकता है।

उल्लेखनीय है कि निदा खान नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ कार्यालय में कार्यरत थी। उस पर आरोप है कि उसने कई हिंदू महिला कर्मचारियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित और मजबूर किया। इस मामले में कुल आठ आरोपी नामजद हैं। पुलिस शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन निदा खान पिछले लगभग डेढ़ महीने से फरार है। नासिक पुलिस द्वारा गठित एसआईटी मुख्य अभियुक्त निदा खान की तलाश में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

अदालत में विशेष सरकारी वकील अजय मिसर ने दलील दी कि मुख्य अभियुक्त निदा खान पर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के जरिए महिला कर्मचारियों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी साजिश की तह तक जाने के लिए निदा खान की हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। पुलिस में दर्ज मुकदमे के अनुसार निदा खान ने टीसीएस कार्यालय में कार्यरत कई हिंदू महिला कर्मचारियों पर बुर्का व हिजाब पहनने और इस्लामी शरिया प्रथाओं का पालन करने के लिए दबाव डाला। पुलिस के अनुसार टीसीएस की नासिक शाखा में कार्यरत कई हिंदू महिलाओं को वहां के मुस्लिम पुरुष कर्मचारियों द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही शादी का झांसा देकर इन हिंदू महिलाओं का यौन शोषण भी किया गया। इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक महिला प्रबंधक भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तर, रजा रफीक मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और अश्विनी चैनानी के रूप में हुई है। नासिक पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल नौ मुकदमे दर्ज किए हैं।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी ने 23 अप्रैल 2026 को इस मामले के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में अदालत ने उन्हें 29 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद पुलिस की मांग पर अदालत ने इस अवधि को दो बार और बढ़ाया। दूसरी ओर, टीसीएस ने पिछले महीने स्पष्ट किया था कि कंपनी की नीति महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सख्त है और यौन उत्पीड़न करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

हिंदुस्तान (20 अप्रैल) के अनुसार नासिक टीसीएस मामले में फरार आरोपी निदा खान को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने उसकी तलाश में मुंबई, मुंब्रा और भिवंडी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार निदा खान गर्भवती है और उसने मुंब्रा के एक अस्पताल में इलाज करवाया था। अस्पताल की डॉक्टर शमायला आजमी ने पुलिस को बताया कि निदा दो बार जांच के लिए आई थी। गर्भावस्था के कारण थकान महसूस होने पर डॉक्टर ने उसे एक सप्ताह अस्पताल में भर्ती होने और एक महीने तक मेडिकल लीव पर रहने की सलाह देते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी किया था। नासिक

के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में कुछ हिंदू सांप्रदायिक ताकतें 'कॉर्पोरेट लव जिहाद' और 'जबरन धर्मांतरण' जैसे मुद्दों को जानबूझकर हवा दे रही हैं। इसके माध्यम से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद', 'थूक जिहाद' और अब 'कॉर्पोरेट जिहाद' जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। समाचारपत्र का कहना है कि पुलिस ने जो शुरुआती रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें जबरन धर्मांतरण का कोई उल्लेख नहीं था और न ही पीड़ित महिलाओं ने कंपनी में ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, अब पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण इस पूरे मामले को एक विशेष धर्म के अनुयायियों के खिलाफ मोड़ रही है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि जिस महिला को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वह वास्तव में एक मामूली टेलीकॉलर है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप जानबूझकर मुस्लिम युवकों पर लगाए जा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट जगत में उनके लिए रोजगार की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इस अभियान का लक्ष्य मुसलमानों को आर्थिक रूप से बर्बाद करना है। मीडिया भी जानबूझकर ऐसी घटनाओं को बिना किसी जांच-पड़ताल के सनसनीखेज तरीके से पेश कर रहा है।

मुंसिफ (23 अप्रैल) में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया है कि सांप्रदायिक तत्व कॉर्पोरेट जिहाद के मुद्दे को इसलिए उछाल रहे हैं ताकि बड़ी कंपनियां मुस्लिम नौजवानों को नौकरी देने से घबराएं। समाचारपत्र ने लिखा है कि दुर्भाग्यवश टीआरपी के लिए कई मीडिया हाउस और अखबार 'धर्मांतरण' एवं 'लव जिहाद' जैसे शब्दों पर जोर दे रहे हैं। इस तरह समाज के एक बड़े वर्ग के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया जा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ मीडिया ट्रायल का एक ताजा उदाहरण है।

उर्दू टाइम्स (19 अप्रैल) का कहना है कि यह पूरा मामला झूठ का पुलिंदा है और इसे मुस्लिम दुश्मनी के कारण बनाया गया है। सोहेल रब्बानी ने अपने लेख में दावा किया है कि वे स्वयं टाटा समूह के बीपीओ अर्थात कॉल सेंटर में

काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि नासिक का टीसीएस कांड बेबुनियाद और झूठा है। लेखक का कहना है कि टाटा समूह की कंपनियों में महिलाओं की सुरक्षा और मर्यादा से जुड़े नियम बहुत कड़े हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के के खिलाफ कोई भी शिकायत करती है तो उस लड़के को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे में टाटा समूह के एक बीपीओ के बारे में यह कहना कि कोई लड़का किसी लड़की के खिलाफ यौन हिंसा कर रहा था, बिल्कुल अविश्वसनीय है। लेखक के अनुसार यह हकीकत सभी को मालूम है कि यह पूरा मामला मुसलमानों को बदनाम व परेशान करने और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाने के लिए गढ़ा गया है। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहरीला अभियान चलाने वाली ताकतें सत्तासीन हैं, इसलिए नफरत के इन अभियानों को रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेखक ने दावा किया है कि टीसीएस का पूरा मामला एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच प्रेम संबंधों का है। यह रिश्ता लड़की के अभिभावकों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ यह अभियान चलाया।

लेखक ने आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल का लक्ष्य शिक्षित मुसलमानों को रोजगार से वंचित करना है। सरकारी नौकरियों के दरवाजे पहले से ही मुसलमानों के लिए बंद हैं और अब कॉर्पोरेट जगत में भी उनके लिए दरवाजे बंद करने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। यह दरअसल 'आर्थिक बहिष्कार' की एक सोची-समझी साजिश है ताकि निजी क्षेत्र में भी मुसलमानों के खिलाफ अविश्वास का माहौल बना दिया जाए।

अखबार-ए-मशरिक (22 अप्रैल) ने कहा है कि नासिक टीसीएस कांड इस साल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट साजिश है, जिसमें महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार आठ महिलाओं ने अब तक नौ मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसके आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। समाचारपत्र का कहना है कि वर्तमान में यह मामला केवल एक कंपनी या शहर तक सीमित नहीं रहकर राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया ने बिना जांच-पड़ताल के लोगों को दोषी ठहरा दिया है और उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। यह मामला बेहद जटिल और संवेदनशील है, जिसमें सच-झूठ, आरोप और मीडिया ट्रायल सभी शामिल हो गए हैं, इसलिए इस संबंध में पूरी गंभीरता से जांच-पड़ताल होनी चाहिए ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति केवल एक खास धर्म के होने के कारण किसी झूठे मुकदमे में न फंस जाए।

पृष्ठभूमिः नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बताया कि इस मामले की शुरुआत 26 मार्च 2026 को हुई। नासिक के इंदिरा नगर इलाके के अशोका बिजनेस एन्क्लेव स्थित टीसीएस कार्यालय की एक 23 वर्षीय हिंदू महिला कर्मचारी ने अपने तीन मुस्लिम सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर दानिश शेख, तौसीफ अत्तर और निदा खान के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाएं आहत

करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शुरुआत में पीड़िता डरी हुई थी, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद उसने शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद कई अन्य पीड़ित महिलाएं सामने आईं और 2 से 3 अप्रैल के बीच आठ और एफआईआर दर्ज की गईं। ये सभी मामले नासिक के मुंबई नाका पुलिस थाने में दर्ज हैं। शिकायतों के अनुसार ये घटनाएं 2022 से 2026 के बीच नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में हुईं। वर्तमान में इन मामलों की सुनवाई नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है।

इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू धर्मांतरण का है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों की मंशा सामूहिक धर्मांतरण कराने की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हाथ होने का भी संदेह व्यक्त किया गया है। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि की है कि शुरुआती शिकायत के बाद सादे लिबास में महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम टीसीएस कार्यालय भेजी गई थी। वहां उन्होंने महिला कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने थाने में औपचारिक शिकायतें दर्ज कराईं।

17 अप्रैल 2026 को टीसीएस कंपनी ने इस संदर्भ में एक आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी ने दावा किया कि नासिक कार्यालय से जुड़े सिस्टम और रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच में उनके एथिक्स या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को इन आरोपों से संबंधित कोई भी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कंपनी के बयान पर टिप्पणी करते हुए नासिक के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह संभव है कि अभियुक्त टीम लीडर या उच्च पदों पर रहे हों, जिस कारण पीड़ित महिलाओं में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत न हुई हो। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद ही पीड़ित महिलाएं खुलकर सामने आईं। ■

मालेगांव बम धमाकों के चारों आरोपी बरी

मुंबई उर्दू न्यूज (23 अप्रैल) के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 के मालेगांव बम धमाका मामले में अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों राजेन्द्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा को बरी कर दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस और जांच एजेंसियां इनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इन चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि गवाहों के बयान देरी से दर्ज किए गए और उनमें भारी

विसंगतियां पाई गई, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। गौरतलब है कि यह मुकदमा 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए सीरियल बम धमाकों से संबंधित है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। बाद में सीबीआई और फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को यह जिम्मेवारी सौंपी गई।

महाराष्ट्र जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने कहा है कि इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले को सही ढंग से पेश करने में विफल रही हैं। इससे इन एजेंसियों की जांच पर गंभीर सवालिया निशान लगता है।

उर्दू टाइम्स (30 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा मालेगांव धमाकों के सभी आरोपियों को बरी किए जाने से यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि मालेगांव के पीड़ित मुसलमान कब तक इंसाफ से वंचित रहेंगे? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मुकदमा ही खत्म कर दिया गया है तो 2006 के वे धमाके किसने किए थे, जिनमें 31 मुसलमानों की मौके पर ही मौत हो गई थी? इस फैसले ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अदालत ने तीनों एजेंसियों (एटीएस, सीबीआई और एनआईए) के निष्कर्षों में विरोधाभास का उल्लेख किया है और कहा कि उन्होंने उपलब्ध सबूतों को नजरअंदाज किया।

उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर 2006 को शब-ए-बारात के अवसर पर मालेगांव की हमीदिया मस्जिद, बड़ा कब्रिस्तान और मुशावरत चौक पर सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 31 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरुआत में नौ मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया, जो पांच साल तक जेल में रहे और 2011 में जमानत पर रिहा हुए। इसी दौरान हैदराबाद की मक्का मस्जिद धमाके के मामले में भी मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया था। मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस धमाके के आरोपी स्वामी असीमानंद भी

उसी जेल में बंद थे, जहां हैदराबाद के मुस्लिम आरोपी थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वामी असीमानंद ने स्वीकार किया था कि ये धमाके हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए थे। उनके इस इकबालिया बयान के बाद मक्का मस्जिद मामले के सभी मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि मालेगांव मामले के मुस्लिम आरोपियों को जमानत दे दी गई। हालांकि, बाद में अदालत ने टिप्पणी की कि स्वामी असीमानंद का यह बयान दबाव में दिया गया हो सकता है।

मालेगांव बम धमाकों की जांच एटीएस के अतिरिक्त सीबीआई ने भी की थी। इन दोनों एजेंसियों ने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला था कि इन धमाकों के पीछे मुस्लिम युवकों का हाथ है, लेकिन जब एनआईए ने जांच संभाली तो उसने धमाकों के लिए हिंदू अतिवादियों को जिम्मेदार ठहराया और इसे 'भगवा आतंकवाद' का नाम दिया गया। एनआईए ने तब कहा था कि अगर मुस्लिम आरोपी रिहाई के लिए अदालत में याचिका दायर करते हैं तो वह उसका विरोध नहीं करेगी, जिससे नौ मुस्लिम आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद कई हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। बाद में इन आरोपियों में बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। इसी साल जनवरी में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और अब उन्हें अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

मालेगांव में दूसरा सबसे बड़ा धमाका 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। धमाके वाली जगह एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल मिली थी, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी। इस आधार पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और हिंदू संगठन 'अभिनव भारत' से जुडे कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रज्ञा ठाकुर ने बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत ली और 2019 में भोपाल से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनीं। जुलाई 2025 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) ने आरोप लगाया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार और जांच एजेंसियों की नीति दोहरी रही है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी दिन मालेगांव बम धमाके के संबंध में उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, वह उनके दावों के खोखलेपन को उजागर करता है। संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि जहां पहलगाम के कथित हमलावर बिना किसी लंबी जांच के एनकाउंटर में मारे गए और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं मालेगांव के आरोपियों को

सजा क्यों नहीं मिली? इसका जवाब यह है कि पहलगाम हमले में मारे गए सभी लोग हिंदू थे और उनकी हत्या का आरोप मुसलमानों पर था, जबकि मालेगांव धमाके में मरने वाले मुसलमान थे और उनकी हत्या का आरोप हिंदुओं पर था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार हिंदू आतंकवादियों के आगे झुक गई और उनके दबाव में जांच एजेंसियों ने सही ढंग से जांच नहीं की।

एतेमाद (24 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत के इस फैसले से मालेगांव बम धमाके के पीड़ित परिवारों को गहरा धक्का लगा है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार का रवैया शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रहा है। धमाकों के शुरुआती दौर में एटीएस ने सिमी को दोषी ठहराते हुए नौ मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया था। ये निर्दोष युवक वर्षों तक जेल में रहे, जिससे न केवल उनकी, बल्कि उनके परिवारों की जिंदगी भी तबाह हो गई। समाचारपत्र ने कहा है कि ऐसे अदालती फैसलों के कारण समाज के एक बड़े हिस्से का न्याय प्रणाली से भरोसा उठ रहा है।

घर वापसी अभियान की आलोचना

उर्दू टाइम्स (23 अप्रैल) में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। रहमानी ने अपने लेख में इस्लाम का महिमामंडन किया है और सनातन धर्म के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। रहमानी ने अपने लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के 'घर वापसी' संबंधी बयान की तीखी आलोचना की है। लेख में तर्क दिया गया है कि मोहन भागवत का घर वापसी से तात्पर्य यह है कि मुसलमान और ईसाई अपने धर्मों को छोड़कर सनातन स्वीकार कर लें।

समाचारपत्र के अनुसार उनका यह आमंत्रण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें सरकार को बाधा डालने की अनुमति नहीं है। लेख में आगे कहा गया है कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के कारण ही सांप्रदायिक तत्वों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वे जिस धर्म का पालन करते हैं वह इंसानों के बीच गैर-बराबरी पर आधारित है। इसमें महिलाओं को सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा

गया है और धार्मिक कार्यों का अधिकार केवल ब्राह्मण और उच्च जाति तक ही सीमित है। सामाजिक असमानता के अनुयायी दूसरे धर्मों के लोगों को अपना धर्म स्वीकार करने का आमंत्रण कैसे दे सकते हैं? जिन धर्मों के अनुयायियों को वे अपने धर्म में आने का आमंत्रण दे रहे हैं उनका आधार बराबरी पर है और उनमें जाति-पाति के नाम पर भेदभाव नहीं होता है।

रहमानी ने लिखा है कि अजीब बात है कि मोहन भागवत जिस सनातन धर्म में प्रवेश करने का आमंत्रण दे रहे हैं उसमें आज भी समाज के एक बड़े वर्ग को कई मंदिरों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं है। लेख में सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि जो मूर्तियां न तो बोल सकती हैं, न हरकत कर सकती हैं और न ही अपने ऊपर बैठी एक मक्खी को हटा सकती हैं उन्हें ईश्वर मान लिया गया है। इसी तरह जो महिला विधवा हो जाए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम क्यों न हो, उसके लिए पुनर्विवाह के द्वार बंद कर दिए गए हैं। लेखक ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म में इंसानों के एक वर्ग को इतना हीन समझा जाता है कि अगर खाने या पानी के बर्तन से उनका हाथ लग जाए तो उसे नापाक और उपयोग के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साफ है कि ऐसे धर्म के बारे में यह आशा कैसे की जा सकती है कि कोई समझदार व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा? यही कारण है कि नए लोग इस घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और सदियों से लोग इस धर्म को छोड़कर नए धर्म स्वीकार करते रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और ताइवान में लाखों लोग स्वेच्छा से इस पुराने धर्म को त्याग चुके हैं। यह केवल वर्तमान हिंदुइज्म की समस्या नहीं है, बल्कि इतिहास में सभी मूर्तिपूजक समुदायों के पास अपने पुराने धर्म में बने रहने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं था।

रहमानी ने लिखा है कि "अगर कोई समूह आपके घर से निकल गया था तो पहले आपको अपने घर की कमजोरियों को तलाशना चाहिए।" उदाहरण के तौर पर इस समय पश्चिम से पूर्व तक इस्लामोफोबिया का बाजार गर्म है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग अपने पुराने धर्मों को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं, बल्कि हाल के वर्षों में मुसलमानों की वैश्विक जनसंख्या 1.7 अरब से बढ़कर दो अरब से भी अधिक हो गई है। विश्व की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी जो कभी 24 प्रतिशत थी वह बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का दावा है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा और मुसलमानों की जनसंख्या 2.8 अरब तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही वैश्विक जनसंख्या में मुसलमान का प्रतिनिधित्व 30 प्रतिशत हो जाएगा।

खास बात यह है कि इस्लाम की जनसंख्या में वृद्धि किसी घर वापसी अभियान के कारण नहीं हो रही है, बल्कि इसका कारण इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति आकर्षण है। इस्लाम में सभी वर्गों को बराबरी प्रदान की गई है और इसकी शिक्षाएं

न्यायपूर्ण व तर्कसंगत हैं। लेख में कहा गया है कि संघ समर्थक भले ही मुसलमानों के खिलाफ कितना भी नफरत का अभियान चलाएं, लेकिन वे मुसलमानों को उनकी राह से हटाने में कभी सफल नहीं होंगे। यह दिल और दिमाग का सौदा है, जिसे धमकियों और पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। रहमानी ने अपने लेख में अपील की है कि हर मुसलमान को गैर-मुसलमानों को इस्लाम स्वीकार करने का आमंत्रण देना चाहिए।

रहमानी ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें केवल एक ईश्वर की वंदना का आदेश दिया गया है और बहुदेवताओं की उपासना का निषेध किया गया है। ऋगवेद में कहा गया है कि "हे लोगों! परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की अराधना न करो, इसी में तुम्हारा लाभ है।" यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं की उपासना करने वालों पर ईश्वर का प्रकोप होने का संदेश दिया गया है। इससे साफ है कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में भी इस्लाम के सिद्धांतों पर ही जोर दिया गया है। वेदों के बहुत बड़े विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में उल्लेख किया है कि ईश्वर एक है।

रहमानी ने दावा किया है कि ईसाइयों ने तीन ईश्वर बना लिए हैं और जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं उनके 33 करोड़ देवी-देवता हैं, इसलिए इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जो सभी इंसानों का असली घर है। आरएसएस को भी चाहिए कि वह लोगों को अपने 'फर्जी घर' की ओर बुलाने के बजाय उन्हें उनके 'असली घर' अर्थात इस्लाम में शामिल होने का आमंत्रण दे। अगर देश के सभी लोग इस्लाम स्वीकार करके अपने असली घर में आ जाते हैं तो जाति-पाति और ऊंच-नीच की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

उर्दू टाइम्स (20 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन पुलिस व शांति-व्यवस्था से संबंधित संगठनों में तेजी से घुसपैठ कर रहे हैं। यही कारण है कि अब पुलिस और प्रशासन मुस्लिम विरोधी रुख अपना रहे हैं। पुलिस और प्रशासन में बैठे लोग मुसलमानों और ईसाइयों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं और आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि पुलिस हिरासत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। सीएसडीएस की रिपोर्ट में भी पुलिस और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये का खुलासा किया गया है।

उत्तराखंड सरकार का मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला

इंकलाब (21 अप्रैल) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार जुलाई 2026 से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मदरसों में कोई अन्य धार्मिक या निजी पुस्तक को पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में समान पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो संस्थान इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से सभी समुदायों के छात्रों को मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी।

फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि यह निर्णय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य की भाजपा सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रही है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यह फैसला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना से प्रेरित है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के अल्पसंख्यक संस्थानों की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख राज्य सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड करेगा।

इंकलाब (28 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को कड़ा आदेश जारी किया है। बोर्ड ने इन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के मदरसों, शिक्षकों और प्रबंधकों का पूरा विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इंकलाब (27 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में

भारी पुलिस की मौजूदगी में एक ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि यह मदरसा बिना सरकारी अनुमति के बनाया गया था और इसके लिए खरीदी गई भूमि में भी भारी अनियमितताएं पाई गई थीं। प्रशासन के अनुसार इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में यह अंदेशा जताया गया है कि इस मदरसे की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त हुआ था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एसडीएम ने 13 जनवरी 2026 को ही इस भवन को गिराने का आदेश दिया था। मदरसा कमेटी ने इस आदेश को संभागीय आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ही ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की गई है।

इंकलाब (23 अप्रैल) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के कई मदरसों की मान्यता निलंबित किए जाने और लगभग 22 हजार शिक्षकों को पिछले दो वर्षों से वेतन का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन शिक्षकों के बकाया वेतन और मान्यता संबंधी विवाद पर दो महीने के भीतर अंतिम निर्णय ले।

जम्मू–कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए उर्दू की अनिवार्यता खत्म

उर्दू टाइम्स (21 अप्रैल) के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार ने राजस्व विभाग की नौकरियों के लिए उर्दू भाषा की जरूरी शर्त को हटा दिया है। राज्य सरकार ने गैर-राजपत्रित पदों के लिए 'जम्मू-कश्मीर राजस्व सेवा भर्ती' के नए निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल राज्य भाजपा ने इस पर विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू की शर्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। इस विवाद के बाद मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को भेजा गया था, जिसने 14 जुलाई 2025 को नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू की अनिवार्यता को अवैध घोषित कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि 2009 के नियमों के तहत राजस्व विभाग में इन पदों के लिए उर्दू अनिवार्य थी। जम्मू-कश्मीर में पिछले 125 सालों से उर्दू आधिकारिक भाषा रही है और सभी भूमि रिकॉर्ड इसी भाषा में हैं। जून 2025 में सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित 75 पदों का जम्मू क्षेत्र के उम्मीदवारों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद अब नए नियमों में केवल स्नातक की डिग्री को ही पात्रता माना गया है। सरकार ने आगामी चरणों में 50 हजार नई भर्तियों की घोषणा की है, जिनमें 507 नायब तहसीलदार, दो हजार गिरदावर और आठ हजार पटवारी के पद शामिल हैं।

एक ओर, जम्मू-कश्मीर उर्दू काउंसिल ने सरकार के इस फैसले को उर्दू पर हमला बताते हुए अधिसूचना वापस लेने की मांग की है तो दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता जोरावर सिंह जमवाल ने इसका स्वागत करते हुए इसे सभी वर्गों के लिए समान अवसर वाला निर्णय बताया है।

हमारा समाज (29 अप्रैल) के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के सबसे बड़े इस्लामी मदरसों में से एक जामिया सिराज उल

उलूम को यूएपीए के तहत अवैध घोषित कर सील कर दिया है। सरकार का आरोप है कि इस शिक्षण संस्थान का संचालन प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर द्वारा किया जा रहा था और इसे विदेशी स्रोतों से अवैध धन प्राप्त हो रहा था। शोपियां जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति इस मदरसे के आसपास इकट्ठा न हो और न ही इसमें प्रवेश करने का प्रयास करे, अन्यथा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शोपियां के प्रमुख वकील नासिर इस्लाम का कहना है कि इस मदरसे में 800 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और यहां 170 कर्मचारी एवं शिक्षक कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि इस मदरसे में सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था और यह राज्य के शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त था।

गौरतलब है कि कुछ साल पहले जब जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी को अवैध घोषित किया गया था तब उससे संबंधित कई शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था और वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। उन्होंने तर्क दिया कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनमें गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये संस्थान किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल थे।

इंकलाब (1 मई) के अनुसार महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की प्रशंसा की थी और राज्य की जनता को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था।

विश्व

पाकिस्तान द्वारा अफगान विश्वविद्यालय पर हमला

हमारा समाज (28 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में स्थित सैयद जमालुद्दीन अफगानी विश्वविद्यालय पर किए गए हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय अफगान छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न कमरों में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय पाकिस्तान की ओर से विश्वविद्यालय और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में मोर्टार और मिसाइलें दागी गईं। अफगान सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है और नागरिकों से अपील की है कि वे घायलों की जान बचाने के लिए सामूहिक रूप से रक्तदान करें।

दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के 'चार्ज डी अफेयर्स' को तलब कर एक विरोध पत्र सौंपा। इस पत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगान सीमा के भीतर घुसकर किए गए हमलों पर कड़ा विरोध जताया गया और कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की वायुसीमा और डूरंड लाइन का उल्लंघन कर नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं। अफगान सरकार ने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा है कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान से बार-बार इन हमलों को रोकने का अनुरोध किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी हैं। अफगान सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर हमलों का यह सिलसिला नहीं रूका तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

समाचापत्र के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी और अफगान सेना के बीच एक दर्जन से ज्यादा झड़पें हुई हैं। इन झड़पों की शुरुआत चमन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कम से कम दो दर्जन सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगान सेना ने बाजौर में सीमा पार कर पाकिस्तानी चौकियों पर हमले किए। पाकिस्तान की जवाबी

अवैध रूप से पाकिस्तान से निष्कासित करने के अभियान को रोके। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त से भी मांग की गई है कि वे पाकिस्तान में कार्यरत अफगान पत्रकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें और पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालें कि वह अफगान मीडिया का उत्पीड़न तुरंत बंद करे।

कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक अफगान सैनिक मारे गए, जबकि छह पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। इसके अतिरिक्त बाजौर जिले के सालारजई और चमारकंद जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़पें हुईं। पाकिस्तान रक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन झड़पों में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मरने वालों में एक मेजर और तीन अन्य सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जबकि दो सैनिक घायल हुए हैं।

हिंदुस्तान (26 अप्रैल) के अनुसार अफगान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एएमएसओ) ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने अफगान मूल के छह पत्रकारों को पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में छापेमारी कर हिरासत में ले लिया और उन्हें जबरन अफगानिस्तान भेज दिया। इनमें दो महिला पत्रकार भी शामिल हैं। एएमएसओ ने विश्व के पत्रकार संगठनों से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि पाकिस्तान सरकार अफगान पत्रकारों के उत्पीड़न और उन्हें

चट्टान (30 अप्रैल) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने अफगान विश्वविद्यालय पर हुए पाकिस्तानी हमले की निंदा की है। इस संदर्भ में जारी एक बयान में कहा गया है कि किसी भी आपसी विवाद में शिक्षण संस्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बयान में दोनों देशों से अनुरोध किया गया है कि वे सीमाओं का सम्मान करें और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन न करें।

चट्टान (29 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हमलों के कारण इस क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान के 'टोलो न्यूज' ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा के भीतर घुसकर स्पिन बोल्डक के पास एक निर्दोष बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। संयुक्त राष्ट्र के काबुल स्थित कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इस महीने दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़पों के कारण एक लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। ■

बलूचिस्तान में खनन कंपनी पर हमला

चट्टान (25 अप्रैल) के अनुसार बलूचिस्तान के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बलूचिस्तान में स्थित एक खनन कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड पर हुए हमले में एक तुर्किये नागरिक सहित 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अतिरिक्त लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मरने वाले अधिकांश लोग सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के निवासी थे। प्रिंस फहद अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में 10 शव लाए

गए थे और आठ घायलों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाके कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए हैं। गौरतलब है कि यह कंपनी चीन के सहयोग से इस क्षेत्र में सोने और तांबे के खनन का कार्य करती है। फ्रंटियर कोर के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना हमलावरों की तलाश कर रही है।

हिंदुस्तान (26 अप्रैल) के अनुसार बलूच स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (बीएसओ) ने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह बलूच महिलाओं और लड़कियों का अपहरण कर उन्हें अज्ञात स्थानों पर हिरासत में रख रही है। इस संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता शोलन बलूच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने 1948 से बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील संगठनों द्वारा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाकर सेना ने क्वेटा, कराची, हब, खुजदार, पंजगुर और अवारन आदि इलाकों से लगभग दो दर्जन महिलाओं को जबरन गायब कर दिया है।

चट्टान (19 अप्रैल) के अनुसार क्वेटा में शिया समुदाय की हजारा जनजाति के लोगों की लक्षित हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में क्वेटा के हजार गंजी इलाके में पांच शिया सब्जी विक्रेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्होंने नकाब से अपने चेहरे ढके हुए थे। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कादिर नायल ने बताया कि पिछले दो दशकों में हजारा समुदाय के दो हजार से अधिक नागरिक इन लक्षित हत्याओं में मारे जा चुके हैं। इस नरसंहार के डर से बड़ी संख्या में शिया परिवार बलूचिस्तान छोड़कर सिंध की ओर पलायन कर गए हैं।

चट्टान (26 अप्रैल) के अनुसार सिंध के सुक्कुर शहर में एक हिंदू युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या हत्या कर दी गई। 'वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी' नामक संगठन के अनुसार मृतक का नाम विशाल कुमार था। इस संगठन ने आरोप लगाया है कि 16 अप्रैल को सुक्कुर स्थित विशाल की दुकान पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

बांग्लादेश द्वारा 22 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता

औरंगाबाद टाइम्स (24 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब सरकार के विशेष अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार ने सऊदी अरब में रह रहे लगभग 22 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेशी पासपोर्ट जारी किए हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि ये पासपोर्ट उन रोहिंग्या मुसलमानों को दिए गए हैं, जो रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे और वहां रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि इन शरणार्थियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज हों और उन्हें सऊदी अरब से निष्कासित न किया जाए।

दूसरी ओर, सऊदी सरकार का कहना है कि बांग्लादेश से आए 69 हजार रोहिंग्या मुसलमान अभी भी बिना पासपोर्ट के सऊदी अरब में रह रहे हैं। बांग्लादेश स्थित सऊदी राजदूत ने बांग्लादेश सरकार से इन शरणार्थियों के लिए जल्द से जल्द पासपोर्ट की व्यवस्था करने की मांग की है। गौरतलब है कि लगभग एक लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के लिए बिना पासपोर्ट के इन रोहिंग्या मुसलमानों पर नजर रखना आसान नहीं है। सऊदी सरकार चाहती है कि इन सभी लोगों के पास कानूनी कागजात हों ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। सऊदी सरकार को यह भी डर है कि अगर बांग्लादेश सरकार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को अभी पासपोर्ट जारी नहीं किए तो भविष्य में उन्हें सऊदी अरब से वापस भेजना मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश इन रोहिंग्या मुसलमानों को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, जिससे सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि सऊदी सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेशी पासपोर्ट बनवाना चाहती है।

समाचारपत्र के अनुसार सऊदी सरकार विजन 2030 पर काम कर रही है, जिसके तहत गैर-कानूनी निवासियों को देश से निष्कासित किया

जा रहा है। सऊदी सरकार का कहना है कि देश में इमिग्रेशन को लेकर सख्त कानून लागू किए जाएंगे। ऐसे में लगभग एक लाख रोहिंग्या मुसलमान सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में पहले से ही 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिससे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। रोहिंग्या मुसलमानों के कारण बांग्लादेश के कई इलाकों में अपराध में भारी वृद्धि हुई है। बांग्लादेश के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह इन शरणार्थियों के पुनर्वास का खर्च उठा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय सात लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें शरणार्थी का दर्जा दे रखा है, जिसके कारण उन्हें संयुक्त राष्ट्र से गुजारा भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश सरकार ने सऊदी सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। इससे पहले 2022 में सऊदी सरकार ने बांग्लादेश में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, लेकिन बांग्लादेश की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

फिलीपींस में इस्लामिक आतंकवादियों की गतिविधियों में भारी वृद्धि

उर्दू टाइम्स (18 अप्रैल) के अनुसार फिलीपींस में इस्लामिक आतंकवादी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में सेना ने एक भीषण मुठभेड़ में 10 इस्लामिक आतंकवादियों को मार गिराया है। समाचारपत्र के अनुसार इन आतंकवादियों का संबंध 'दौलाह इस्लामिया-माउते' समूह से था, जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से संबद्ध है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब सेना दक्षिणी फिलीपींस के लानाओ डेल सुर प्रांत के एक गांव में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में इस आतंकवादी समूह के प्रमुख कमांडर अमेरोल मंगोरंका समेत 10 आतंकवादी मारे गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ के बाद सेना ने उस गांव से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और बम बनाने की सामग्री भी बरामद की है।

गौरतलब है कि 2014 में फिलीपींस सरकार और इस्लामिक आतंकवादी संगठन मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के बीच एक शांति समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बड़े आतंकवादी समूहों ने हथियार डाल दिए थे। हालांकि, कुछ आतंकवादी गुटों ने इस समझौते में हिस्सा नहीं लिया और वे समय-समय पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहे।

उल्लेखनीय है कि दक्षिणी फिलीपींस लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस इलाके में अबू सय्याफ ग्रुप, न्यू पीपुल्स आर्मी, जेमाह इस्लामिया, एलेक्स बोनकायाओ ब्रिगेड जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनके तार वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भीषण आतंकवादी हमले के आरोपी साजिद अकरम और नवीद अकरम हमले से कुछ समय पहले फिलीपींस गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर सक्रिय इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आतंकवादियों से मुलाकात की थी और उनके गुप्त शिविरों में प्रशिक्षण लिया था। आईएसआईएस लंबे समय से फिलीपींस में सक्रिय है। इस आतंकवादी संगठन ने फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में कई अड्डे स्थापित कर रखे हैं। 2017 में आईएसआईएस ने फिलीपींस के मारावी शहर पर कब्जा कर लिया था। इस शहर को

आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ पांच महीने का लंबा अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में लगभग एक हजार आतंकवादी मारे गए थे।

माली के रक्षा मंत्री की आतंकवादी हमले में मौत

हमारा समाज (27 अप्रैल) के अनुसार अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) और अलगाववादी अजावाद लिबरेशन फ्रंट (एफएलए) ने मिलकर पश्चिम अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको सहित देश के कई हिस्सों पर एक साथ हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेएनआईएम के आतंकवादियों ने माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा के काटी मिलिट्री बेस स्थित आवास पर भी हमला किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। माली के सैन्य मुख्यालय ने पुष्टि की है कि जेएनआईएम ने पिछले एक महीने में देश के 18 स्थानों पर हमले किए, जिसमें कम-से-कम 500 लोग मारे गए हैं। गौरतलब है कि एफएलए तुआरेग विद्रोहियों का समूह है, जो एक अलग राज्य की स्थापना के लिए संघर्षशील है।

माली के सरकारी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि आतंकवादियों ने गाओ और किडाल स्थित सैन्य शिविरों पर हमला कर दो हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। तुआरेग विद्रोहियों के प्रवक्ता का दावा है कि अब उनका मुख्य लक्ष्य गाओ और टिम्बकटू पर कब्जा करना है। दूसरी ओर, सेना ने राजधानी बमाको में टैंक तैनात कर दिए हैं और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महसचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हिंसा की निंदा करते हुए माली की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश विभाग के अफ्रीकी ब्यूरो ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। गौरतलब है कि वर्तमान में माली में जनरल असिमी गोइता के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार सत्ता में है, जिसने 2020 में तख्तापलट के जरिए शासन संभाला था।

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब अमीरात की ओपेक छोड़ने की घोषणा

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक' और 'ओपेक प्लस' से अलग होने की घोषणा की है। यूएई का यह निर्णय 1 मई 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा। ऊर्जा क्षेत्र में आए इस बड़े बदलाव को तेल निर्यातक देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र ऐतिहासिक संकट से गुजर रहा है और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अनिश्चितता का सामना कर रही है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल मजरूई ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' को बताया कि यह निर्णय ऊर्जा क्षेत्र के गहन अध्ययन और भविष्य की रणनीतियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूएई पिछले 60 वर्षों से ओपेक का सक्रिय सदस्य रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

गौरतलब है कि 'ओपेक प्लस' तेल उत्पादक देशों का एक प्रभावशाली संगठन है, जिसमें अरब देशों के अतिरिक्त रूस सहित छह गैर-अरब देश भी शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार में तेल उत्पादन को नियंत्रित करना और कीमतों में संतुलन बनाए रखना है। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला निष्पक्ष रूप से राष्ट्रहित में लिया गया है। यह फैसला यूएई को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति के क्षेत्र में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे वह अपने सहयोगी देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेगा।

इंकलाब (1 मई) के अनुसार यूएई की ईंधन मूल्य समिति ने पेट्रोलियम उत्पादों की नई कीमतों की भी घोषणा कर दी है। समिति ने

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद डीजल की कीमतों को यथावत रखने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूती देना तथा बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। डीजल की कीमतों में बदलाव न करने का निर्णय परिवहन और व्यापार क्षेत्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि विश्व तेल बाजार में यूएई की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सके।

इंकलाब (29 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अरब देशों में विभिन्न मामलों को लेकर जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, यह घटनाक्रम उसी की एक कड़ी है। इससे पहले 'अरब लीग' में भी मतभेदों की चर्चा शुरू हुई थी, क्योंकि फिलिस्तीन जैसे संवेदनशील मामले में उसकी खामोशी इस बात का संकेत थी कि अरब देशों में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। कुछ अरब देशों ने अरब जगत के हितों को नजरअंदाज करके अमेरिका के दबाव में इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए हैं। वहीं, कुछ अरब देश उनकी इस नीति को अरबों और विशेष रूप से इस्लाम के लिए घातक मानते हैं।

हिंदुस्तान (1 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यूएई के इस फैसले से ऊर्जा क्षेत्र में एक नया संकट पैदा होने लगा है। हालांकि, अभी यह कहना कठिन है कि इस फैसले का विश्व के ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ेगा? समाचारपत्र ने कहा है कि ओपेक की स्थापना से पहले पश्चिमी देश तेल की कीमतों और उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, लेकिन इस संगठन के बनने के बाद खाड़ी देशों के लिए तेल की कीमतें तय करना आसान हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों के पेट्रो डॉलर का विशेष महत्व है। इनमें से अनेक देशों ने पेट्रो डॉलर का भारी निवेश अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में कर रखा है। यूरोपीय देशों का प्रयास है कि ओपेक देशों के आपसी मतभेदों को बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में यूएई का ओपेक से अलग होना केवल आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि इससे गंभीर राजनीतिक संकेत भी मिलते हैं। सऊदी अरब का यह प्रयास रहा है कि अन्य तेल उत्पादक देशों में तेल उत्पादन का कोटा इस तरह से हो, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यूएई के इस फैसले से अरब एकता को गहरा झटका लगा है। हालांकि, इस फैसले का भारत और अन्य तेल आयातक देशों को लाभ होगा, जो तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि अबू धाबी और रियाद के बीच बढ़ती दूरियां इस बात का संकेत हैं कि अरब देश अब एकजुट नहीं हैं। इसका प्रभाव इस्लामिक एकता पर भी पड़ सकता है।

एतेमाद (1 मई) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सऊदी अरब अपने आर्थिक वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए ओपेक के माध्यम से अन्य अरब देशों पर इस बात का दबाव डालता

रहा है कि वे अपनी क्षमता से बहुत कम तेल का उत्पादन करें। यही कारण है कि यूएई हमेशा 'कोटा सिस्टम' का विरोधी रहा है। वर्तमान में इस कोटे के तहत यूएई प्रतिदिन 32 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि उसकी क्षमता 48 लाख बैरल प्रतिदिन की है। यूएई का मानना है कि ईरान और इजरायल के युद्ध के कारण वह और अधिक तेल उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकेगा। हालांकि, वर्तमान स्थिति में यूएई के इस फैसले का तेल की कीमतों पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। ओपेक देश दुनिया की तेल क्षमता का 30 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है, जो प्रतिदिन एक करोड़ बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है, इसलिए उसका प्रयास रहता है कि कोई अन्य तेल उत्पादक देश अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन न करे, क्योंकि ऐसा करने से सऊदी अरब के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है।

पृष्ठभूमि : पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) 12 देशों का एक समूह है, जो अपने सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन का कोटा निर्धारित करता है। हाल ही में यूएई द्वारा ओपेक से अलग होने की घोषणा का सीधा अर्थ यह है कि अब वह तेल उत्पादन पर लगाए गए इस गठबंधन के कोटा सिस्टम से बंधा नहीं रहेगा। यूएई ने 2016 में बने ओपेक प्लस गठबंधन से भी अपना नाता तोड़ने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि यूएई का यह फैसला सऊदी अरब के साथ उसके बढ़ते मतभेदों के बीच आया है, क्योंकि ओपेक पर सऊदी अरब का वर्चस्व माना जाता है। पेट्रोलियम विशेषज्ञों का मानना है कि "ऊर्जा की बड़ी जरूरत वाले देश भारत के लिए यूएई का ओपेक गठबंधन से बाहर होना एक शुभ संकेत है। यूएई भारत का एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। उम्मीद है कि वह अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 50 से 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाएगा। यह हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत यूएई का रणनीतिक साझेदार भी है और कच्चे तेल का उपभोक्ता भी।"

फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 91 प्रतिशत आयात करता है। इसमें से 54 प्रतिशत आयात पश्चिम एशिया के देशों से होता है। भारत अपनी कुल जरूरत का 10 प्रतिशत कच्चा तेल अकेले यूएई से आयात करता है। पेट्रोलियम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूएई अपना तेल उत्पादन बढ़ाता है तो वह भारत को अतिरिक्त तेल की आपूर्ति कर सकेगा, क्योंकि अब ओपेक के नियमों से बंधा नहीं होगा।

ओपेक और ओपेक प्लस का इतिहास

ओपेक एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित

है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना और वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखना है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। बाद में यह 12 देशों का समूह बन गया, जिसमें हाल तक यूएई भी शामिल था।

वहीं, तेल बाजार पर नियंत्रण और प्रभाव बढ़ाने के लिए 2016 में ओपेक प्लस का गठन किया गया। इसमें ओपेक के मूल सदस्यों के अलावा रूस और बहरीन सहित 10 अन्य तेल उत्पादक देश शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि यूएई इस गठबंधन से बाहर होने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले कतर, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, अंगोला और गैबॉन भी ओपेक से बाहर हो चुके हैं। ओपेक के भीतर यूएई चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रहा है। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में यूएई प्रतिदिन लगभग 29.2 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था।

बिना लाइसेंस के हाजियों के लिए भोजन परोसने पर सऊदी सरकार की सख्ती

हिंदुस्तान (25 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति कानूनी लाइसेंस के बिना हाजियों के लिए भोजन तैयार करेगा या उसका भंडारण करेगा उसे एक करोड़ रियाल तक का जुर्माना और 10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में सहयोग करता है तो उसके कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसे कम से कम एक साल की जेल होगी। सऊदी हज अथॉरिटी ने घोषणा की है कि इस साल किसी भी हाजी को व्यक्तिगत रूप से खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें केवल अधिकृत दुकानों से तैयार भोजन खरीदना होगा। यह निर्णय स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। साथ ही विदेशी हज यात्री अपने साथ किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ या दवाइयां नहीं ला सकेंगे। मक्का और मदीना में 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

दूसरी ओर, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के निर्देशानुसार हाजियों को अब रिहायशी भवनों के बजाय होटलों में ठहराया जाएगा। इसके लिए 170 नई बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है, जिनमें पांच लाख कमरों की व्यवस्था है। इन होटलों में विशेष अस्पताल और 50 हजार नए डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ

की तैनाती की गई है। प्रत्येक हाजी के लिए 24 घंटे डिजिटल निगरानी हेतु डिजिटल रिस्टबैंड पहनना अनिवार्य होगा।

उर्दू टाइम्स (27 अप्रैल) के अनुसार इस वर्ष ईरान के निर्धारित कोटे में से सिर्फ 10 प्रतिशत हाजियों के ही हज करने की संभावना है। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को निर्देश दिया है कि पश्चिम एशिया में अशांति के कारण वे हज करने से परहेज करें।

कौमी तंजीम (28 अप्रैल) के अनुसार मस्जिद-ए-नबवी के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। हज मंत्रालय ने घोषणा की है कि मक्का मदीना और मीना के पवित्र स्थानों में सिर्फ हज के विशेष परमिट धारकों को ही छोटे-छोटे समूहों में दाखिल होने की अनुमति होगी। कोई भी हाजी इन स्थानों में 15 मिनट से अधिक नहीं ठहर सकेगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 अप्रैल) के अनुसार सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जेद्दा में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हज सीजन की विशेष व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन हो। इस वर्ष 150 देशों के प्रतिनिधि प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं और 800 से अधिक कंपनियों के साथ विशेष समझौते किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 'नुसुक' डिजिटल कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जो सेंसर तकनीक से लैस है। निगरानी के लिए 10 हजार विशेष अधिकारी तैनात हैं, जिनमें दो हजार महिलाएं शामिल हैं।

सियासत (2 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सुरक्षा बलों ने नियमों का उल्लंघन करने पर 16 विदेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें देश से निष्कासित कर दिया है। इसके अतिरिक्त एक सूडानी नागरिक को सोशल मीडिया पर फर्जी हज परमिट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

बहरीन में ईरान समर्थकों की गिरफ्तारी

उर्दू टाइम्स (24 अप्रैल) के अनुसार बहरीन की सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान के साथ संपर्क रखने के आरोप में सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों की सटीक संख्या बताने से इनकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त एक हजार से अधिक ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ईरानी टेलीविजन और संवाद समितियों के संपर्क में थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईरानी हमलों का समर्थन करने या पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साइबर क्राइम यूनिट ने नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी ईरानी ऐप या समाचार स्रोत से दूर रहें। ईरानी एजेंसियों के प्रसारण देखने वालों को देश से निष्कासित करने और उनकी नागरिकता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में अब तक

69 व्यक्तियों की नागरिकता रद्द की जा चुकी है। एक अन्य मामले में पांच आरोपियों को तुरंत निष्कासित कर दिया गया है, जबकि 74 अन्य लोगों को 5 से 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई है। इन पर महत्त्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें ईरानी एजेंसियों के साथ साझा करने का आरोप था।

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर की सरकारों ने ईरान के समर्थन में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ईरान युद्ध की शुरुआत में इन देशों में रहने वाले शिया समुदाय द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि इन देशों के सुन्नी शासकों ने धार्मिक नफरत के आधार पर ईरान समर्थक शियाओं को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में लोगों को अपने-अपने देशों से निष्कासित किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन करने वालों और वीडियो बनाने वालों को व्यापक पैमाने पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर देशद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।

हिंदुस्तान (21 अप्रैल) के अनुसार यूएई के जाने-माने रणनीतिकार और विश्लेषक अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया है कि यूएई ईरानी हमलों से अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और उसे अमेरिकी सैन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब हमारे लिए लाभ के बजाय बोझ बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हालिया इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान यूएई ने 800 से अधिक ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट किया है। यूएई का कहना है कि उसे अमेरिका से सिर्फ आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली चाहिए, न कि यूएई की भूमि पर कोई अमेरिकी सैनिक। ■

मोजतबा खामेनेई की रहस्यमयी गुमशुदगी

सियासत (25 अप्रैल) के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई मार्च में पद संभालने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर कई अफवाहें फैल रही हैं। अभी तक ईरानी सरकार द्वारा उनका कोई भी वीडियो या संबोधन प्रसारित नहीं किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सूत्रों के अनुसार वर्तमान में सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय आईआरजीसी के शीर्ष कमांडर ले रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के सलाहकार रह चुके अब्दुल रजा दावरी ने आरोप लगाया है कि मोजतबा खामेनेई देश को एक कॉर्पोरेट की तरह चला रहे हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मोजतबा घायल हो गए थे और उनका इलाज रूस की राजधानी मास्को में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके चेहरे और पैरों के कई ऑपरेशन हुए हैं, जिसके कारण वे बोलने में असमर्थ हैं और डॉक्टर उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (21 अप्रैल) के अनुसार ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों और संभावित हमलों के डर से उन्हें अभी तक

दफनाया नहीं जा सका है। मशहद स्थित इमाम रजा मजार फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार यह तय हो चुका है कि अली खामेनेई को मजार परिसर में ही दफनाया जाएगा, लेकिन उचित समय का इंतजार किया जा रहा है।

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने दावा किया है कि देश की रक्षा के लिए लगभग तीन करोड़ ईरानियों ने 'आत्म-बलिदान' के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी दबाव में आकर न तो होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी खत्म करेगा और न ही अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता अब अमेरिका को निशाना बनाने की हद तक विकसित हो चुकी है।

एतेमाद (30 अप्रैल) के अनुसार जेद्दा में मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक हुई। परिषद के महासचिव जसीम मोहम्मद अलबुदैवी ने ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमलों और होर्मुज की नाकेबंदी की कड़ी निंदा की है। परिषद ने घोषणा की कि किसी भी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इस बैठक में होर्मुज की नाकेबंदी को गैर-कानूनी बताते हुए इसे खुलवाने हेतु संयुक्त वैश्विक दबाव और सैन्य तकनीक विकसित करने का निर्णय भी लिया गया।

नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

उर्दू टाइम्स (29 अप्रैल) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आतंकवादियों ने उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के एक गांव पर हमला करके 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे देश में भय का माहौल है। अडामावा स्टेट के गवर्नर अहमदु उमरु फिंतिरी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आतंकवादियों को कुछ विदेशी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है और वे इन्हें लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। गौरतलब है कि नाइजीरिया में पिछले कुछ सालों से मुसलमानों और ईसाइयों के बीच गृहयुद्ध जारी है। इस गृहयुद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका नाइजीरिया के ईसाइयों की जान बचाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद अमेरिका ने नाइजीरियाई सरकार की सहायता के लिए सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति में मदद की थी। जानकार सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में आईएसआईएस के दो प्रमुख गुट सक्रिय हैं, जिनमें आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) और बोको हराम शामिल हैं। हाल ही में लकुरावा नामक एक नया आतंकवादी गुट भी उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में सक्रिय हुआ है। एक अन्य समाचार के अनुसार इस घटना से एक दिन पहले कुछ बंदूकधारियों ने एक अनाथालय पर हमला करके 23 ईसाई बच्चों का अपहरण कर लिया। नाइजीरियाई पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

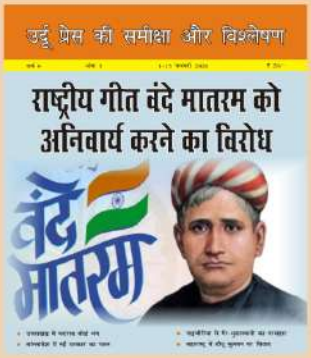

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in